

वित्त मंत्रालय
मांग संख्या 39
पेंशन

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2015-2016			बजट 2016-2017			संशोधित 2016-2017			बजट 2017-2018			
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	
कुल	27596.94	...	27596.94	32070.00	...	32070.00	33180.00	...	33180.00	35170.00	...	35170.00	
वसूलियां	-0.13	...	-0.13	
प्राप्तियां	-1000.00	...	-1000.00	-1000.00	...	-1000.00	-1000.00	...	-1000.00	
निवल	27596.81	...	27596.81	31070.00	...	31070.00	32180.00	...	32180.00	34170.00	...	34170.00	
क. वसूलियों और प्राप्तियों को घटाने के बाद बजट आबंटन इस प्रकार है													
केंद्र का व्यय													
केन्द्र का स्थापना व्यय													
1. पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभ													
1.01	अधिवर्षिता और सेवानिवृत्ति भत्ते	15113.84	...	15113.84	15066.83	...	15066.83	16167.71	...	16167.71	17121.25	...	17121.25
1.02	पेंशन का परिवर्तित मूल्य	1486.17	...	1486.17	1787.26	...	1787.26	1787.26	...	1787.26	1892.49	...	1892.49
1.03	उपदान	2454.09	...	2454.09	2664.00	...	2664.00	2663.00	...	2663.00	2820.90	...	2820.90
1.04	परिवारिक पेंशन	4571.07	...	4571.07	5099.54	...	5099.54	5108.46	...	5108.46	5403.11	...	5403.11
1.05	छुट्टी नकदीकरण	1457.03	...	1457.03	1548.42	...	1548.42	1548.42	...	1548.42	1639.59	...	1639.59
1.06	भविष्य निधि में अंशदान	5.23	...	5.23	13.20	...	13.20	7.50	...	7.50	13.99	...	13.99
1.07	विविध पेंशन संबंधी भुगतान	2469.17	...	2469.17	2860.19	...	2860.19	2873.09	...	2873.09	3039.52	...	3039.52
1.08	अन्य	1.57	...	1.57	3.00	...	3.00	3.00	...	3.00	3.18	...	3.18
	जोड़- पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभ	27558.17	...	27558.17	29042.44	...	29042.44	30158.44	...	30158.44	31934.03	...	31934.03
2. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के पेंशन संबंधी प्रभार													
2.01	दिल्ली सरकार के कर्मचारियों को पेंशन और सेवानिवृत्ति लाभ के भुगतान	2975.97	...	2975.97	2975.97	...	2975.97	3184.29	...	3184.29
2.02	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार से प्राप्त होने वाली वसूलियां	-1000.00	...	-1000.00	-1000.00	...	-1000.00	-1000.00	...	-1000.00
	निवल	1975.97	...	1975.97	1975.97	...	1975.97	2184.29	...	2184.29
3. सामाजिक सुरक्षा और कल्याण													
3.01	जमा संबद्ध बीमा योजना	38.14	...	38.14	49.13	...	49.13	43.13	...	43.13	49.07	...	49.07
3.02	केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी बीमा योजना	0.25	...	0.25	1.01	...	1.01	1.01	...	1.01	1.07	...	1.07
3.03	अन्य	0.25	...	0.25	0.41	...	0.41	0.41	...	0.41	0.43	...	0.43
3.04	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के कर्मचारियों को भुगतान जमा संबद्ध बीमा योजना की	1.04	...	1.04	1.04	...	1.04	1.11	...	1.11

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2015-2016			बजट 2016-2017			संशोधित 2016-2017			बजट 2017-2018		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
जोड़- सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	38.64	...	38.64	51.59	...	51.59	45.59	...	45.59	51.68	...	51.68
जोड़-केन्द्र का स्थापना व्यय	27596.81	...	27596.81	31070.00	...	31070.00	32180.00	...	32180.00	34170.00	...	34170.00
कुल जोड़	27596.81	...	27596.81	31070.00	...	31070.00	32180.00	...	32180.00	34170.00	...	34170.00
ख. विकास शीर्ष												
सामान्य सेवाएं												
1. पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभ	27558.17	...	27558.17	31018.41	...	31018.41	32134.41	...	32134.41	34118.32	...	34118.32
जोड़-सामान्य सेवाएं	27558.17	...	27558.17	31018.41	...	31018.41	32134.41	...	32134.41	34118.32	...	34118.32
सामाजिक सेवाएं												
2. सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	38.64	...	38.64	51.59	...	51.59	45.59	...	45.59	51.68	...	51.68
जोड़-सामाजिक सेवाएं	38.64	...	38.64	51.59	...	51.59	45.59	...	45.59	51.68	...	51.68
कुल जोड़	27596.81	...	27596.81	31070.00	...	31070.00	32180.00	...	32180.00	34170.00	...	34170.00

1. **पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभ:** इस मांग में भारत की संचित निधि पर प्रभारित की जाने वाली अन्य मदों के साथ-साथ पेंशन और उपदान के भुगतान के लिए प्रावधान शामिल है, जो राज्य सरकारों से वसूला जाता है।

2. **राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के पेंशन संबंधी प्रभार:** यह प्रावधान राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार के कर्मचारियों को पेंशन और सेवानिवृत्ति लाभ के भुगतान के लिए है। मुख्य शीर्ष '0071 - पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभ में अंशदान और वसूलियां' के तहत प्राप्तियां राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार से प्राप्त होने वाली देय राशि (1000 करोड़) के कारण है।

3. **सामाजिक सुरक्षा और कल्याण:** इसमें अंशदायी और अन्य भविष्य निधियों, जमा संबद्ध बीमा योजना और केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी बीमा योजना में अंशदान के लिए प्रावधान शामिल है।